

33
बि० 3802/2018/सिंगरौली/भू-प्र०

427

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

आवेदकगण की ओर से
ती आर.के.के.पे पाठेप
पेग विप्रा प्र०/०८-०६-१३



कब्र की जीर्णोद्धार
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(मिडिल कोर्ट) सेवा

- 1- इन्नेलाल विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा
- 2- रामलल्लू विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा
- 3- रामसजन विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा सभी निवासी ग्राम जरहा, तह० जिला सिंगरौली म०प्र०

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम्

- 1- रामनारायण सिंह तनय शिवरतन सिंह
- 2- रामप्रसाद सिंह तनय शिवरतन सिंह
- 3- इन्द्रपाल सिंह तनय छोटन सिंह
- 4- इन्द्रजीत सिंह तनय छोटन सिंह
- 5- फूलमति पत्नी जीतन सिंह
- 6- चन्द्रदेव सिंह तनय जीतन सिंह
- 7- उमादत्त विश्वकर्मा पिता बुधई लोहार
- 8- रामाधार विश्वकर्मा पिता रामनाथ लोहार सभी निवासी ग्राम जरहा, तह० व जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय बैठन
जिला सीधी म०प्र० के प्रकरण क्रमांक
39/निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक 14.02.
2000 के विरुद्ध निगरानी
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व
संहिता 1959

महोदय

मामले का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-

निवेदन है कि आराजी नं० 820/2/ख रकवा 0.202हे मौजा
जरहा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र० के भूमिस्वामी व
अधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण है एवं आराजी नं० 820/1/ख रकवा


इन्नेलाल

303

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 3602/2018/211 जिला- सिगरी

इन्दुलाल विरुद्ध रामनारायण

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>आर.के.देव.पाठे</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अपर कलेक्टर, जिला <u>सिगरी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>39/1/09-10</u> में पारित आदेश दिनांक <u>14-2-2000</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>16-4-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

Ln
सदस्य